संरक्षा बुलेटिन

मध्य रेलवे, सोलापुर मंडल

मासिक बुलेटिन नं - 10, फरवरी - 2019.

****

"संरक्षा नियमों का पालन आप पर निर्भर है"

****

भारतीय रेल पर निम्नलिखित असामान्य घटनाएं हुए हैं :-

1. दिनांक 17/02/2019 को ई. सी. रेलवे (EC Railway) के DHN (धनबाद) मंडल में - गाड़ी नंबर MSPC लोको नंबर 70377 / 70759 WDG4/BNDM ने GHQ (गरवा) स्टेशन पास होने के बाद, कि.मी. 09/15-17 पर करीब 21.50 बजे अचानक ट्रैक पर आया हुआ ऑटो रिक्षा को टकरा गई। एक व्यक्ति की मृत्यू हुई और अन्य एक व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हुआ (जो ऑटो रिक्षा से सफर कर रहा था)

कारण : ट्रैक पर ऑटो रिक्षा द्वारा अतिक्रमण (ट्रेसपासिंग) होना ।

जिम्मेवारी : **रोड युजर्स**

सबक (संरक्षा उपाय) : ट्रैक के सभी स्थान जहां ट्रैक के करीब वाहन आने की संभावनाएं है, वहां उपयुक्त फेन्सिंग / दीवार बनवाके संरक्षित किया जाना चाहिए।

2. दिनांक 19/02/2019 को DHN (धनबाद) मंडल के डबल लाइन सेक्शन में पूर्व मध्य रेलवे- गाड़ी क्र MSPC लोको क्र 70519 / 12941 WDG4/ PTRU, KLRE (खलारी) स्टेशन से 1.50 बजे निकली और कि.मी 154 / 14-12 पर (KLRE - RAY के बीच) करीब 01.55 बजे 11 BOXN (लोडेड) पटरी से उतरे। पटरी से उतरे कुछ वैगन डिरेल होकर अप ट्रैक पर आ गये ।

   अप मालगाडी क्र. KIFH लोको क्रमांक 23186 / 23413 WAG5/TKD, लोड 43 BFKL (लोडेड) और एक खाली एम्टी (Empty) जो RAY से 01.50 बजे निकली थी। पटरी से उतरे अप ट्रैक में आये हुए BOXN वैगनों से टकराई, अप गाडी के दोनों इंजन और छे वैगन भी पटरी से उतरे।

कारण : किमी 154/14-12 पर डाउन मेन लाइन पर KLRI - RAYस्टेशन के बीच रेल फ्रक्चर था। रेल हेड में 80% प्रतिशत किडनी फलॉ (दोष) के कारण ।

जिम्मेवारी : **इंजीनियरिंग विभाग**

सबक (संरक्षा उपाय) - 1) USFD अतिदक्षता से की जाएं ।

2) पटरी से उतरे गाड़ी इंजन का फ्लैशर लाइट तुरंत चालू करें और पटरी की सुरक्षा तुरंत की जाएं।

.2..

डयूटी पर नशा करना

संदर्भ 1. रेल अधिनियम के पैरा 172

2. रेल सेवा आचरण नियम 1966

3. सा और से नि के सा नि 2.09

रेल सेवक अपने कर्तव्यों के दौरान किसी भी नशीले पदार्थ (पेय) या दवा (ड्रग्स) के प्रभाव में नहीं होगा और इस बात का भी ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके ड्यूटी (कर्तव्यों) का कार्य निष्पादन किसी भी तरह ऐसे नशीले पेय या दवा से प्रभावित नहीं होगा।

रेल सेवक यदि वह रनिंग श्रेणी से संबंधित है एवं ट्रेन पासिंग ड्यूटी के साथ सीधे जोडा जाता है (लोको और यातायात), ड्यूटी शुरु होने के आठ घंटे के भीतर या ड्यूटीपर किसी भी नशीले पदार्थ (पेय) / (ड्रग्स) को नहीं लेना चाहिए।

निवारक नीति

1 सभी वरि. पर्यवेक्षको को विभीन्न स्त्रोतो से प्रतिक्रिया लेकर उनके अधीन काम करने वाले जिन्हें पिने की आदत है ऐसे कर्मचारियों की सूची बनाये रखनी चाहिए ।

2 यदि किसी कर्मचारी को प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान शराब पिने की आदत है, तो उसकी सेवा की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए ।

3 सभी रेल कर्मचारियों को परामर्श दिया जाना चाहिए की यदि कोई कर्मचारी अल्कोहोल के प्रभाव में पाया जाता है तो उसका नैतिक कर्तव्य होगा कि इसकी रिपोर्ट उसे अपने उच्च श्रेणी कर्मचारी को करनी होगी ।

4 सभी पर्यवेक्षक / निरीक्षकों को आम तौर पर निरीक्षण के समय पोर्टेबल Breathanalyzer ले जाना चाहिए।

5 किसी भी रनिंग स्टाफ को Breathanalyzer टेस्ट से गुजरने के बिना ड्यटी के लिए साइन ऑन करने की अनुमति नहीं होगी ।

6 यदि Breathanalyzer टेस्ट परीक्षण सकारात्मक पाया जाता है तो, आगे की D&AR कार्रवाही हेतू रिडिंग की प्रिंट आउट निकाली जाए और इसका पृष्ठांकन उसके सेवा रिकार्ड में किया जाना चाहिए ।

7 यदि कर्मचारी Breathanalyzer टेस्ट (परिक्षण) से गुजरने में सहयोग करने से इन्कार करते है, तो उन्हें D&AR के अधीन लिया जाना चाहिए और इस नीति के अनुसार सकारात्मक टेस्ट (परीक्षण) का मामला माना जाएं और तदनुसार कार्रवाई की जाएं ।

(सुरेश कुमार एन.टी)
वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी,सोलापुर